न्यायालय जिलाकलक्टर,भरतपुर (राज0)

अपील / रसद / 26 / 2018

निरंजन सिंह, उचित मूल्य दुकानदार ग्रांम पंचायत लुहासा तहसील नदवई जिला भरतपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

1–उपखण्ड अधिकारी नदबई जिला भरतपुर
2–जिला रसद अधिकारी भरतपुर

.....रेस्पो0

अपील विरुद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी नदवई दिनांक 15–03–2017

निर्णय

दिनांक 22–11–2022

अपील प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं। उपखण्ड अधिकारी नदबई ने अपने आदेश दिनांक 15–03–2017 से प्राधिकार पत्र निलंम्बित किये जाने की आज्ञा पारित की गई थी। उपखण्ड अधिकारी नदबई के आदेश दिनांक 15–03–2017 से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो एवं पत्रावली तहत तलब की गई। उभय पक्ष की वहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने अपील में तथ्यों को दोहराते हुये जाहिर किया कि उपखण्ड अधिकारी नदबई ने अपीलान्ट के प्राधिकार पत्र को निलंम्बित किया है, प्राधिकार पत्र को निलम्बन किये आज काफी लम्बा अर्सा हो चुका है। तहत न्यायालय ने अभी तक जॉच पेश नहीं की गई है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर द्वारा भी कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। योग्य अभिभाषक का तर्क है कि 90 दिवस तक जांच पूरी नहीं होने पर नियमों के तहत निलम्बन आदेश को पेंडिग जांच बहाल कर देना चाहिये था, परन्तु तहत न्यायालय ने ऐसा नहीं किया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावे।

पैरोकार रसद ने अपने कथनों में जाहिर किया कि तहत पत्रावली श्रीमान न्यायालय द्वारा तलव किये जाने के कारण प्रकरण में जांच कार्यवाही पूरी नहीं की जासकी , इसलिये जांच में विलम्व हुआ है।

हमने पत्रावलीयों का अध्ययन किया। उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया।

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर के निर्णय दिनांक 15–03–2017 का अवलोकन किया गया। उपखण्ड अधिकारी नदबई ने अपीलान्ट डीलर द्वारा गम्भीर अनियमितताऐं किये जाने के कारण अपने आदेश दिनांक 15.3.2017 से निलम्बित किया गया है। डीलर को निलम्बन किये हुये काफी लम्बा अर्सा हो चुका है।

राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की धारा 8(2) में अंकित है कि :– " No Order of cancellation shall be made under this order unless the authorisation holder has been given a reasoable opportunity of stating his case against the proposed cascellation but during the pendency or in contemplation of proceedings of cancellation authorisation, the authorisation can be suspended for a period not exceeding 90 dayas without giving any opportunity to the authorisation holder of stating his case..." इस प्रकार अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नही पाते हैं। अपील अपील अपीलान्ट स्वीकार प्रकरण जिला रसद अधिकारी भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित पाते हैं कि अपीलान्ट डीलर के खिलाफ विचाराधीन विभागीय जांच का नियमानुसार शीघ्र निस्तारण करें।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है। उपखण्ड अधिकारी भरतपुर का आदेश दिनांक 15–03–2017 निरस्त किया जाता है। प्रकरण जिला रसद अधिकारी भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलान्ट डीलर के खिलाफ विचाराधीन विभागीय जांच का नियमानुसार शीघ्र निस्तारण करें। निर्णय प्रति के साथ तहत पत्रावली वापिस जिला रसद अधिकारी भरतपुर को लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 22–11–2022 को सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर